रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 1990/भाद्र 30, 1912
No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1990/BHADRA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1990

सं. 245-सीमाशुल्क/90

सा.का.नि. 802(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 196/87-सीमाशुल्क, तारीख 5 मई, 1987 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,--

(1) (शर्त) (viii) में, "आयातकर्ता" शब्द के स्थान पर "जैसा शर्त (xiiiक) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, आयातकर्ता" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) शर्त (x) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्वर्ण के स्क्रैप, धूल और झाड़न आयातकर्ता द्वारा सरकारी टकसाल को मानक स्वर्ण शलाकाओं में परिवर्तित किये जाने के लिये भेजे जा सकें और इस संबंध में सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त जोन को लौटाए जा सकेंगे ;"।

(ग) शर्त (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(13क) उक्त जोन में विनिर्मित रत्न और आभूषणों का आयात और निर्यात नीति (अप्रैल 1990-मार्च, 1993) के पैरा 16 के अनुसार दिल्ली और मुम्बई स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन में प्रस्थान लाउंज में स्थापित फुटकर विक्रय-केन्द्र या शो-रूम का पर्यटक यात्री सामान नियम, 1978 में परिभाषित ऐसे पर्यटक, को, जो भारत छोड़ता है, सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विक्रय के लिये प्रदाय किया जा सकेगा "।

[सं. 245-सीमाशुल्क/90-फा. सं. 305/38/90-एफटीटी]

सोमशेखर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1990

NO. 245—CUSTOMS|90

G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1 of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Governmen being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby make the following further amendments in the notification of the Government o India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 196|87-Customs dated the 5th May, 1987, namely :—

In the said notification,—

(a) in condition (viii), for the words "the importer", the words, bracket and letters "save as otherwise provided in condition (xiiia), the importer" shall be substituted;

(b) to condition (x), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that scrap, dust or sweepings of gold arising in the manufacturing process may be forwarded to the Government Mint by the importer for conversion into standard gold bars and return to the said Zone in accordance with the procedure specified by the Collector of Customs in this regard;";

(c) after condition (xiii), the following condition shall be inserted, namely :—

"(xiiia) gem and jewellery manufactured in the said zone may be supplied to the retail outlets or show rooms set up in the departure lounge at international airports at Delhi and Bombay in accordance with para 16 of the Import and Export Policy (April, 1990—March, 1993), for sale to a tourist as defined in the Tourists Baggage Rules, 1978, leaving India, in accordance with the procedure specified by the Collector of Customs;".

[No. 245—Customs|90—F. No. 305|38|90-FTT.]

L. JAYASEKAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990